



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं0 - 1547 वर्ष 2026

कुलदीप कुमार

बनाम

..... याची(गण)

30प्र0 राज्य तथा 9 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : अरविन्द कुमार, प्रमोद कुमार पाण्डेय शिखा पाण्डेय

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : आजाद राय , मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं0 2

मा0 प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याचीगण ने अन्य बातों के साथ निम्न अनुरोधों के साथ वर्तमान रिट याचिका अधिमानित किया है:-

“1. विनिर्दिष्ट अवधि के अन्दर जैसा इस मा0 न्यायालय द्वारा नियत है, 30प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 30 के अधीन मामला सं0 1057 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत मामला सं0 डी202402030001057) कुलदीप कुमार बनाम विनोद कुमार तथा अन्य का विनिश्चय करने के लिए प्रत्यर्थी सं0 3 को निदेशित रखे हुए परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निदेश जारी किया जाय।”

2. अभिलेखों के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले उपर्युक्त अनुतोष के लिए याची याचिका रिट सी सं0 12777 वर्ष 2024 दाखिल करते हुए इस न्यायालय में आया, जिसे निम्न निदेशों के साथ 27-04-2024 को निपटाया गया था:-

“याची के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार पाण्डेय तथा श्री सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव, विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता, जो प्रत्यर्थी सं0 2 से 3 की ओर से उपस्थित हैं को सुना। श्री आजाद राय ने प्रत्यर्थी सं0 4 की ओर से नोटिस स्वीकार किया है।

आदेश के दृष्टिगत, जिसे आज पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा है, प्रत्यर्थीगण सं0 5 से 8 को नोटिस जारी नहीं किया जा रहा है।

वर्तमान रिट याचिका में ईप्सित एक मात्र अनुतोष प्रत्यर्थी सं0 3, मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रयागराज को 30प्र0 राजस्व संहिता, 2006 की धारा 3 के अधीन कार्यवाहियों मामला सं0 1057 वर्ष 2024 (कम्प्यूटरीकृत मामला सं0 डी202402030001057), कुलदीप कुमार बनाम विनोद कुमार तथा अन्य का विनिश्चय करने के निदेश हेतु है।

याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि याची पट्टांतरित गाटा का स्वामी है लेकिन अब प्राइवेट प्रत्यर्थीगण द्वारा निर्माण खड़ा किया जा रहा है।

विद्वान स्थायी अधिवक्ता को अनुतोष के संबंध में कोई आक्षेप नहीं है।

प्रतिद्वन्दी पक्षकारों के निवेदनों तथा इनके द्वारा लिए गये आधार पर विचार करते हुए, कानून के अधीन सशक्त तीसरे प्रत्यर्थी, मुख्य राजस्व अधिकारी, प्रयागराज/सक्षम प्राधिकारी से विधि के अनुसार प्रभावित पक्षकारों को सुनने के पश्चात विधिक बाधा यदि कोई है के अधीन आदेश के प्रमाणित प्रति के पेश किये जाने की तिथि से चार माह के अवधि के अन्दर कार्यवाहियों का विनिश्चय करने की अपेक्षा करते हुए रिट याचिका को निपटाया जा रहा है।

यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि रिट याचिका का विनिश्चय प्रत्यर्थीगण से किसी जवाब की मांग किये बिना किया जा रहा है। इस प्रकार, इस आदेश के पारित किये जाने का अर्थ इस अभिव्यक्ति के संबंध में नहीं लगाया जा सकता है कि इस न्यायालय ने मामले के गुणावगुण की जांच किया है।

पूर्वोक्त संप्रेक्षण के साथ, रिट याचिका को निपटाया जाता है।”

3. पूर्वोक्त के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि यह उपर्युक्त अनुतोष के विरुद्ध दूसरी रिट याचिका है, जो विधि में अनुज्ञेय नहीं है।

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. उपर्युक्त के दृष्टिगत, वर्तमान रिट याचिका को खारिज किया जाता है।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"